[श्री हंसराज गंगाराम अहीर]
बनाई जा रही हैं। इसमें एक अच्छी बात यह है कि मैंने आपसे पुरुष कैदियों के लिए 114 परसेंट की बात कही है, लेकिन महिला कैदियों के मामले में सिर्फ 70 प्रतिशत महिलाएँ ही जेलों में हैं और उनके मामले में जेलों की capacity 30 परसेंट और है। चूँकि यह प्रश्न महिलाओं को लेकर था, इसलिए मैं यह भी बताना चाहता हूँ, लेकिन जेलों में 114 परसेंट पुरुष कैदी हैं, जिनके लिए क्षमता बढ़ाने का प्रयास होता रहता है।

* 62. **[The questioner was absent.]**

Attacks on journalists

*62. SHRI DILIP KUMAR TIRKEY: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that in recent years attacks on journalists have increased sharply in the country and many journalists have also been killed in such attacks;

(b) if so, the number of such attacks including deaths of journalists in the last three years; and

(c) the steps being taken by Government to ensure safety and security of journalists?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI HANSRAJ GANGARAM AHIR): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

State/UT-wise Cases Registered (CR) and Persons Arrested (PAR) under attack on media persons (under section 325, 326, 326A and 326B IPC) during 2014 and 2015

Sl. No.	State/UT	2014		2015	
		CR	PAR	CR	PAR
1	2	3	4	5	6
1.	Andhra Pradesh	4	1	1	0
2.	Arunachal Pradesh	0	0	0	0
3.	Assam	2	0	0	0
4.	Bihar	22	3	0	0
5.	Chhattisgarh	0	0	1	0
6.	Goa	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6
7.	Gujarat	3	4	0	0
8.	Haryana	0	0	0	0
9.	Himachal Pradesh	0	0	0	0
10.	Jammu and Kashmir	0	0	0	0
11.	Jharkhand	3	0	0	0
12.	Karnataka	0	0	0	0
13.	Kerala	0	0	0	0
14.	Madhya Pradesh	7	10	19	32
15.	Maharashtra	5	6	1	0
16.	Manipur	0	0	0	9
17.	Meghalaya	1	2	0	0
18.	Mizoram	0	0	0	0
19.	Nagaland	0	0	0	0
20.	Odisha	1	0	0	0
21.	Punjab	0	0	0	0
22.	Rajasthan	0	0	5	0
23.	Sikkim	0	0	0	0
24.	Tamil Nadu	0	0	0	0
25.	Telangana	0	0	0	0
26.	Tripura	2	2	0	0
27.	Uttar Pradesh	63	4	1	0
28.	Uttarakhand	1	0	0	0
29.	West Bengal	NR	NR	NR	NR
	TOTAL (STATES)	114	32	28	41
30.	Aadaman and Nicobar Islands	0	0	0	0
31.	Chandigarh	0	0	0	0
32.	Dadra and Nagar Haveli	0	0	0	0
33.	Daman and Diu	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6
34.	Delhi	0	0	0	0
35.	Lakshadweep	0	0	0	0
36.	Puducherry	0	0	0	0
	TOTAL (UTs)	0	0	0	0
	TOTAL (ALL INDIA)	114	32	28	41

NR: Implies not received.
Source: Monthly Crime Statistics.

MR. CHAIRMAN: Question No. 62. Questioner not present. Are there any supplementaries?

SHRI K. T. S. TULSI: Sir, the reply given by the hon. Minister to this vital question concerns not only the freedom of speech of the journalists but also the right of the public to be informed. They have given the reply as if the journalists who have been killed are mere statistics, and there is no concern expressed about the trend which is growing. According to a world-wide known organisation, Reporters Without Borders, India is amongst the three top-most dangerous countries for journalists. We are more dangerous than Pakistan and Afghanistan, according to Reporters Without Borders. To merely say, 'This is a matter which concerns the States because law and order is a State-subject and, therefore, we are not concerned',... is shirking responsibility.

MR. CHAIRMAN: What is the question?

SHRI K.T.S. TULSI: The point is, Sir, so many journalists have been killed. Is there going to be any policy for protection of journalists so that they can exercise their right to report the truth?

AN HON. MEMBER: Sir, the Government should be acting...

MR. CHAIRMAN: Please sit down. It is not your question. Let it be answered.

श्री हंसराज गंगाराम अहीरः सभापति जी, हमारे देश में 2014 में पत्रकारों पर हमलों की कुल 114 घटनाएं हुईं, जिनमें केस रजिस्टर किए गए। 2015 में इस तरह के हमलों के 28 मामले दर्ज हुए। हालांकि मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि देश की कुल जनसंख्या को देखते हुए यह संख्या बहुत बड़ी है, इसलिए जितनी गंभीरता से देश की स्थिति के बारे में माननीय सदस्य ने कहा है, मुझे नहीं लगता कि हमारे देश में पत्रकारों पर इतने ज्यादा हमले होते हैं। हमारा देश बहुत बड़ी आबादी का देश है, उसको देखते हुए यह संख्या बहुत ज्यादा नहीं लगती है। ...**(व्यवधान)**... यदि इस प्रकार की कोई घटना घटती है, तो राज्य सरकारें अपने स्तर पर उस पर कार्यवाही करती हैं। वैसे भी कुल मिलाकर यह मामला राज्य सरकारों का ही है। किसी भी राज्य में अगर

कोई गुनाह कायम होता है, एफआईआर होती है, तो उसको राज्य सरकारें ही देखती हैं। हमारे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है, जिसमें किसी राज्य सरकार ने इस तरह का कोई केस रजिस्टर करने से मना किया हो। इन सारी बातों के लिए Press Council को भी अधिकार दिए हुए हैं। अगर किसी भी स्टेट में किसी पत्रकार पर हमले की कोई शिकायत आती है, तो Press Council ही उस मामले की शिकायत दर्ज करवाती है। इस तरह का कोई केस रजिस्टर करने में अथवा गुनाह कायम करने में किसी भी पुलिस स्टेशन में कोई आनाकानी नहीं की जाती है। अभी तक इसके लिए जितने भी आरोपियों को अरेस्ट किया गया है, उसकी फिगर्स आपको दी गई हैं। किसी भी आरोपी को अरेस्ट करने में पुलिस स्टेशन की तरफ से कोई आनाकानी नहीं होती है।

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, the question and the answer, both refer to the word 'journalist' and I suppose it is in the traditional term—'journalist' being a print-journalist or a television journalist. Sir, in today's digital medium, everyone from the civil society, every citizen, can be a journalist because you can broadcast from your mobile phone. Sir, in this digital age, since you can broadcast from your mobile phone, there is a generation of people known as trolls, who broadcast very negative, abusive stuff, murderous threats, or misogynistic stuff, and the kind of editorial which goes out can also have deep communal differences.

My specific question, Sir, is, in this digital age, as I say where every citizen can be a journalist to broadcast this kind of negativity, is the Minister and his Ministry planning to issue an advisory to high constitutional authorities, including the Prime Minister of India, who are following unknown people on the digital medium? And I don't say they have to know everybody; the Prime Minister himself is not sending out any negative messages. But, the people who he is following on the digital media are sending out bile and very venomous...

MR. CHAIRMAN: What is the question?

SHRI DEREK O'BRIEN: So, my question is: Will the Government consider sending out an advisory to high constitutional authorities, to everybody who is in a responsible position, not to follow these unknown trolls who are spreading rape threats, communal threats and misogynistic threats under guise of anonymity?

श्री हंसराज गंगाराम अहीरः माननीय सभापति जी, माननीय सदन ने जो चिन्ता प्रकट की है, उससे कुछ अंश में सहमत होने के लिए सभी सोच सकते हैं, लेकिन देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अतः वे अपने-अपने तरीके से लिख भी सकते हैं। अगर कोई गलत टिप्पणी की है, तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है। हम किसी भी व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंतत्रा पर रोक नहीं लगा सकते हैं। आपने जो बात कही है कि एक पत्रकार, व्यवसायी या कोई प्रोफेशनल है, इन सभी को संविधान में समान अधिकार होने के कारण पत्रकारों को कोई ऐसी विशेष सुरक्षा देने की बात नहीं सोची गई है। बाकी आपने कहा है कि जो अनावश्यक टिप्पणियां करते हैं, यह आपका विचार हो सकता है, लेकिन सरकार के पास ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि उन पर कोई रोक लगाई जाए। हमारे संविधान के मुताबिक हमें ऐसा कोई अधिकार हमें नहीं है।

SHRI DEREK O' BRIEN: Sir, we are not on the question of freedom of expression ...(*Interruptions*)... Freedom of expression is freedom of expression. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: If you are not satisfied, you know the procedure. ...(*Interruptions*)...

SHRI DEREK O'BRIEN: I request the Minister; I am not fighting with him. ...(*Interruptions*)... None of us in this House wants the freedom of expression to be quashed. ...(*Interruptions*)... My question has not been answered, you know that, Sir.

MR. CHAIRMAN: If the question is not answered, you know how to proceed.

SHRI DEREK O'BRIEN: Okay, Sir.

डा. विनय पी. सहस्त्रबुद्धेः सर, मैं आपके माध्यम यह बताना चाहता हूं कि वर्ष 2014 की तुलना में वर्ष 2015 में, जब से नई सरकार आई, तब से पत्रकारों पर हमलों की संख्या में बहुत घटौती हुई है और यह संख्या बहुत कम हुई है।

श्री सभापतिः आप सवाल पूछिए।

डा. विनय पी. सहस्त्रबुद्धेः सर, मैं सदन में यह बताना चाहता हूं कि जब से नई सरकार आई है, तब से पत्रकारों के ऊपर हमलों की संख्या बहुत कम हुई है। यह बात मैं सदन में रिकॉर्ड के लिए बताना चाहता हूं। **...(व्यवधान)...** Let me ask my question. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: No, no, you ask your question.

डा. विनय पी. सहस्त्रबुद्धेः सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में वर्ष 2014 में पत्रकारों पर हमलों के 63 मामले दर्ज हुए थे, तो क्या वहां असहिष्णुता के बारे में सरकार ने कोई अध्ययन किया है? **...(व्यवधान)...**

MR. CHAIRMAN: Silence, please. ...(*Interruptions*)...

श्री हंसराज गंगाराम अहीरः माननीय सभापति जी, सदस्य महोदय ने जो प्रश्न पूछा है उसमें सत्य यही है कि वर्ष 2014 में पत्रकारों के ऊपर हमलों के 63 मामले दर्ज होने की बात हमें रिपोर्ट में बताई गई थी, लेकिन इस वर्ष उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक मामला दर्ज होने की बात कही गई है। वहां सारे मामले दर्ज होते हैं, हमें ऐसा नहीं लगता है। इसलिए माननीय सदस्य ने जो चिन्ता प्रकट की है, वह सत्य प्रतीत होती है। वैसे ही पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा भी हमें इस बारे में कोई रिपोर्ट नहीं दी जाती है, यानी हमें अवगत नहीं कराया जाता है कि वहां पर पत्रकारों पर कितने हमले हुए हैं। केवल ये दो स्टेट्स हैं, जो हमें पत्रकारों पर हुए हमलों के बारे में नहीं बताती हैं। बाकी सभी स्टेट्स से हमें इस बारे में रिपोर्ट्स मिलती हैं। फिर भी मीडियाकर्मियों पर जो हमले होते हैं, यह सारा मामला राज्य सरकारों का होने के कारण हम इस बारे में पूरी डिटेल्स नहीं दे पाएंगे।

श्री सभापतिः ठीक है।